

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 58/2015

संस्थित दिनांक-26.11.2011

फाईलिंग नंबर-230303005572011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. ओमकार जाट पुत्र अमोलसिंह जाट
उम्र 35 साल निवासी ऐंचाया
2. पुन्ना उर्फ पूरन मिर्धा उम्र 30 साल
निवासी ग्राम पिपरौली
3. फूलसिंह उर्फ फूला पुत्र राजाराम मिर्धा
उम्र 65 साल निवासी ग्राम पिपरौली का पुरा
थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

----- आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री आर0पी0 गुर्जर अधिवक्ता

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 29 फरवरी-2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरोपीगण के विरुद्ध धारा-397 भा0द0वि0 सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.02.11 को 20.00 बजे ग्राम रामपुरा के पास जहाँ पर एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट प्रभावशील था, वहाँ पर उसने अन्य सह आरोपीगण के साथ संयुक्त होकर महिला विमला से उसके सोने चांदी के जेवर मंगलसूत्र, कान का बाला, अंगूठी तथा तोड़िया एवं फरियादी महाराजसिंह से उसका मोबाईल छीनकर ले जाकर लूट कारित की और उक्त लूट कारित करने में उन्होंने घातक आयुध आग्नेयास्त्र का उपयोग कर मारपीट कर उन्हें चोटें पहुंचाई।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि घटना दिनांक 20.02.2011 को घटनास्थल ग्राम रामपुरा गोहद के पास मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी महाराजसिंह दिनांक 20.02.11 के करीब 6.00 बजे शाम को अपनी पत्नी विमला

बाई व भानेज धीरज के साथ अपने गांव के मंशाराम की मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-30एम0सी0-8740 डिस्कवर से गोहद से शादी कर अपने गांव मानपुरा जा रहा था। जैसे ही वह शीतला माता के मंदिर से रामपुरा के कच्चे रास्ते पर हैण्डपंप के आगे पहुंचा तो सामने से एक मोटरसाईकिल डिस्कवर जिस पर तीन लोग बैठे थे, जिसका नंबर-एम0पी0-07एमसी-6272 था, उसे रोका। उनमें से एक आदमी 55-56 साल का था। एक लडका ठिगना था व एक लंबा था। उसे रोककर उसकी पत्नी से बोले कि कान के बाला उतार व मंगलसूत्र उतार, अंगूठी व तोड़िया उतार। फिर उसने सोचा कि मोटरसाईकिल भी ले जायेंगे। छीना झपटी होने लगी तभी एक बदमाश ने कट्टे से फायर कर दिया। छीनाझपटी में उसकी व उसकी पत्नी की अंगुली दांयी व बांये हाथ की एक एक अंगुली काट ली खून निकलने लगा। वह लोग चिल्लाये तो वे लोग दूर भाग गये। उनकी मोटरसाईकिल पंचर थी। उसके भानेज धीरज का बदमाश मोबाईल कैप्टन कंपनी का जिनके सिम नंबर बताते हुए उससे 200 रुपये छीनकर ले जाना बताया। उसकी पत्नी के पुराने इस्तेमाली जेवरात करीब 15000/-रुपये के छीनकर ले गये। बदमाश जाते समय अपना मोबाईल व मोटरसाईकिल छोड़कर भाग गये। बदमाश के मोबाईल से उसके घर मानपुरा फोन किया तब ट्रैक्टर से कई लोग आ गये। फिर उन लोगों ने सब जगह फोन किये। अंधेरा होने से बदमाशों का हुलिया ठीक से नहीं देख पाये।

4. फरियादी महाराजसिंह के द्वारा की गई मौखिक रिपोर्ट पर से थाना गोहद द्वारा देहाती नालिसी अप0क्र0-0/11 धारा-394 भा0द0सं0 एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई जिस पर से असल अप0क्र0-27/11 धारा- धारा-394 भा0द0सं0 एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट कर अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा एवं जप्ती, मेमोरेण्डम व गिरफ्तारी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भिण्ड में पेश किया गया जहाँ से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 397 भा0द0वि0 सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 20.02.11 को 20.00 बजे ग्राम रामपुरा के पास जहाँ पर एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट प्रभावशील था, वहाँ पर उसने अन्य सह आरोपीगण के साथ संयुक्त होकर महिला विमला से उसके सोने चांदी के जेवर मंगलसूत्र, कान का बाला, अंगूठी तथा तोड़िया एवं फरियादी महाराजसिंह से उसका मोबाईल छीनकर ले जाकर लूट कारित की ?

2. क्या उक्त दिनांक स्थान व समय पर आरोपीगण ने उक्त लूट कारित करने में उन्होंने घातक आयुध आग्नेयास्त्र का उपयोग कर मारपीट कर उन्हें चोटें पहुंचाई?

-:-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 व 2 का निराकरण

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. परीक्षित साक्षियों में घटना की पीड़ित श्रीमती विमला अ0सा0-1 उसका पति महाराजसिंह अ0सा0-2 एवं भान्जा धीरज अ0सा0-11 हैं जिनकी घटना के समय एकसाथ उपस्थिति कथानक में बताई गई है। वे तीनों ही अपने गांव के मंशाराम की मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-30एम0सी0 8740 डिस्कवर से गोहद से शादी करके अपने गांव मानपुरा वापिस जा रहे थे। तब रास्ते में शीतला माता के मंदिर से राय पुरा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर उनके साथ लूट की घटना हुई थी जिसमें एक मोटरसाईकिल डिस्कवर क्रमांक-एम0पी0-07एम0सी0-6272 पर लोग आये थे जिनमें से एक 55-56 साल का था जिसके पैर में लचक थी तथा एक टिगने कद का था एवं एक लंबे कद का था। जिन्होंने रोककर विमला के जेवर जिनमें कान के बाला, पाजेब, अंगूठी, मंगलसूत्र लूटे थे, धीरज से 200 रुपये और उसका मोबाईल लूटना बताया है। एक लुटेरे के द्वारा कट्टे से फायर करना भी बताया है। छीनाझपटी में उन्हें चोटिल होना भी बताया गया है और मौके पर छीनाझपटी में लुटेरे अपना एक माईक्रोमैक्स मोबाईल, मोटरसाईकिल, जैकेट और एक रीवॉक कंपनी का लेबिल लगा हुआ जूता छोड़ गये।
9. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0-4 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 21.02.11 को सी0एच0सी0 गोहद में मेडिकल ऑफीसर रहते हुए पुलिस द्वारा लाये जाने पर आहत महाराजसिंह, उसकी पत्नी विमला देवी की चोटों का परीक्षण करना बताया है जिसमें महाराजसिंह के बांये हाथ की तर्जनी उंगली के उपरी हिस्से में दांत के काटने का निशान होकर एक फटा घाव 1.2 गुणित 1.1 से0मी0 का पाया था। जिसकी उसने प्र0पी0-7 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार की थी। तथा विमला देवी के भी दाहिनी तर्जनी उंगली के उपरी हिस्से में एक फटा घाव 1 गुणित 3 गुणित 1.1 से0मी0 का पाया था जिस पर भी दांतों के निशान मौजूद थे और नाखून नहीं था जिसकी उसने प्र0पी0-8 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार की थी। उक्त चिकित्सक ने दोनों आहतों की चोटें साधारण प्रकृति की बताते हुए परीक्षण करने से 24 घण्टे के भीतर की बताते हुए इस संभावना से इन्कार किया है कि चोटें स्वकारित हो सकती हैं या किसी वस्तु के दबने के कारण हो सकती हैं। दांतों के काटने के जो निशान थे वे किसी पशु के हो सकते हैं या नहीं, इस बारे में अभिमत देने में असमर्थता व्यक्त की है। प्र0पी0-7 व 8 के अवलोकन से दोनों आहतगण का परीक्षण दिनांक 21.02.11 के दोपहर 1.00 बजे से 1.20 बजे तक होता है। कथानक मुताबिक जो घटना प्र0पी0-1 की देहाती नालिसी रिपोर्ट मुताबिक बताई गई है उस में लूट की घटना जिसमें एक दांत चोटिल होना बताया गया है वह

20.02.11 के रात आठ बजे की है। इस हिसाब से आहतगण की चोटें घटना के समय की संभावित प्रतीत होती हैं। किन्तु उन्हें घटना से तभी जोड़ा जा सकता है जबकि आहतगण के द्वारा समर्थन किया जाये।

10. जहाँ तक आहतगण का प्रश्न है, विमलादेवी अ०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि कथन दिनांक 14.03.14 से दो तीन साल पहले वह अपने पति के साथ गोहद से ग्वालियर ससुराल मानपुर मोटरसाईकिल से जा रही थी। गोहद चौराहे से थोड़ा निकलने पर एक मोटरसाईकिल पर तीन लोग आये थे जिन्होंने उसके जेवर छीने थे। घटना करके लुटेरे मौके से भाग गये थे। रात होने से वह लुटेरों को नहीं पहचान पाया था। घटना की सूचना उसके पति ने पुलिस को दी थी। फिर पुलिस आई थी और पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी। घटना में उसे व उसके पति को चोटें आई थीं। पुलिस ने उनका मेडिकल भी कराया था। घटना के समय लुटेरे कट्टे भी लिये थे। और उसके पति को गाड़ी से उतारा था। किन्तु उक्त साक्षिया ने यह कहा है कि घटना के समय काफी अंधेरा था और वे मोटरसाईकिल से फिसल गये थे और फिसलने के कारण उन्हें चोटें आई थीं। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना नहीं की और न वे मौके पर मौजूद थे। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य महाराजसिंह अ०सा०-2 ने भी अपने कथन के दौरान दिया है और प्र०पी०-1 की रिपोर्ट लिखाना पुलिस द्वारा मौके पर आकर प्र०पी०-2 का नक्शामौका बनाना बताया है। तथा घटनास्थल से मोटरसाईकिल, मोबाईल, जूता को जप्त कर प्र०पी०-3 का जप्ती पत्रक भी बनाना कहा है। उसने कोई सामान पुलिस को जप्त नहीं कराया था। प्र०पी०-1 लगायत 3 पर थाने पर हस्ताक्षर पुलिस द्वारा कराया जाना पैरा-2 में स्वीकार करते हुए विमला बाई की तरह ही यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण मौके पर नहीं थे और आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना नहीं की। तथा उसने लुटेरों की पहचान, हुलिया, उम्र आदि पुलिस को नहीं बताये और उन्हें जो चोटें आई, वह मोटरसाईकिल के स्लिप हो जाने के कारण गिरने से आई थीं।
11. अभियोजन की ओर से घटना की पीड़िता विमला अ०सा०-1 व महाराजसिंह अ०सा०-2 को पक्ष विरोधी भी घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में उक्त दोनों आहत साक्षियों की अभिसाक्ष्य अभियोजन पर बंधनकारी प्रभाव रखती हैं। जैसा कि न्याय दृष्टांत **राकेश विरुद्ध म०प्र०-राज्य 2005 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-46** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। जिससे यह स्थापित हो रहा है कि आहतगण की चोटें लूटपाट की घटना में किसी लुटेरे के द्वारा नहीं पहुंचाई गई बल्कि वे मोटरसाईकिल से स्लिप होकर गिरे जिससे उन्हें चोटें आई। इस प्रकार से दोनों ही आहत डॉ० आर० विमलेश के इस कथन का समर्थन नहीं करते हैं कि आहतगण की चोटें दांतों के काटने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। ऐसे में उनकी चोटें लूट की घटना में स्वेच्छया उपहति कारित करने के संबंध में प्रमाणित नहीं होती हैं। और दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि उनके द्वारा आरोपीगण की तो मौके पर उपस्थिति से ही इन्कार किया गया है।
12. कथानक मुताबिक घटना के समय आहत विमला एवं महाराजसिंह के साथ उनका भान्जा धीरज भी था। धीरज को अभियोजन की ओर से अ०सा०-11 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को

पहचानने से इन्कार करते हुए घटना फरवरी-2011 के रात के करीब आठ बजे की शीतला माता मंदिर के आगे रायपुरा के कच्चे रास्ते में हैण्डपंप के आगे की तो बताई है। जब वह अपने मामा मामी के साथ मोटरसाईकिल से ग्राम मानपुरा जा रहा था। उसने भी यह कहा है कि सामने से तीन लोग मोटरसाईकिल से आये थे जिनमें एक बुढ़ा था और दो लड़के थे जिन्होंने उनके आगे मोटरसाईकिल लगाकर उन्हें रोक लिया था। एक बदमाश ने उसकी जेब से 200 रुपये कैप्टन कंपनी का मोबाईल छीना था तथा उसकी मामी विमला से तोड़िया, बाला, मंगलसूत्र और अंगूठी छीनी थी। अंगूठी छीनने में उसकी मामी की उंगली में चोट होकर घाव हो गया था। शोर मचाने पर बदमाश लूटे गये सामान को लेकर भाग गये थे। तथा बदमाश अपनी मोटरसाईकिल डिस्कवर तथा एक बदमाश का फोन भागते में घटनास्थल पर गिर गया था। उनकी मोटरसाईकिल पंचर हो गयी थी। इसलिये बदमाश उनकी मोटरसाईकिल भी वहीं छोड़ गये थे। फिर उसके मामा महाराजसिंह ने रिपोर्ट की थी।

13. उक्त साक्षी का यह भी कहना रहा है कि जब घटना हुई थी उस समय अंधेरा था और बदमाश कपड़े से मुंह बांधे थे। तथा घटना को काफी समय भी हो गया है इसलिये उन्हें नहीं पहचान सकता है। जो लुटेरा बूढ़ा था उसे भी वह अंधेरे के कारण नहीं देख पाया था कि वह लंगड़कर चल रहा था या नहीं। इस प्रकार से विमला देवी और महाराजसिंह की तरह ही उक्त साक्षी ने भी अपने अभिसाक्ष्य में केवल लूट की घटना होना, घटना कारित करने वालों में दो लड़के और एक वृद्ध व्यक्ति का शामिल होना, डिस्कवर मोटरसाईकिल से आना और लूटकर चले जाना जिसमें 200 रुपये और मोबाईल तथा विमला देवी के जेवरात लूटे जाने का तो समर्थन किया है किन्तु लूट विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा कारित की गई, इस बारे में उसका कोई समर्थन नहीं है। और विमला देवी व महाराजसिंह ने तो आरोपीगण की उपस्थिति से ही इन्कार किया है। इसलिये उसका अभिसाक्ष्य भी आरोपीगण के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। और उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पहचान के बिन्दु पर पक्षविरोधी नहीं किया गया है जबकि कथानक में जो रिपोर्ट महाराजसिंह के द्वारा लिखाई गई और जो पुलिस बयान दिया उसमें लूटपाट करने वाले आसपास के गांव के ही होने की शंका व्यक्त की गई थी। तथा कुछ लोगों के द्वारा भी घटना को देखा जाना बताया गया था। और धीरज ने तो पुलिस कथानक में मिलने पर पहचान सकने की संभावना भी व्यक्त की थी। किन्तु प्रकरण में आरोपीगण के गिरफ्तार किये जाने के पश्चात उनकी पहचान की कोई कार्यवाही कराई जाना नहीं बताया गया है। यह भी अभियोजन के प्रतिकूल ही उपधारणा निर्मित करने को बल देता है कि यदि पहचान कराई जाती तो अवश्य ही अभियोजन असफल रहती। ऐसीस्थिति में अन्य साक्षियों की अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना अपेक्षित हो जाता है।

14. अन्य परीक्षित साक्षियों में से प्र0पी0-1 लगायत 3 की कार्यवाही करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी उमेशसिंह तोमर अ0सा0-10 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 20.02.11 को थाना प्रभारी गोहद के पद पदस्थ रहते हुए महाराजसिंह द्वारा लिखाई गई घटना की रिपोर्ट पर से प्र0पी0-1 की देहाती नालिसी लेखबद्ध करना तथा घटनास्थल से एक काले रंग की डिस्कवर मोटरसाईकिल, एक जैकेट, जूता पीले रंग का एवं माईक्रोमैक्स

मोबाईल, एक पीले काले रंग की शर्ट को जप्त करना बताया है जो लूट करने वाले मौके पर ही छोड़ गये थे। और उसका प्र०पी०-३ का जप्ती पत्रक बनाना कहा है। प्र०पी०-३ की जप्ती का समर्थन महाराजसिंह के द्वारा भी किया गया है किन्तु वह सामान आरोपीगण का ही था, इस बारे में कोई सुझाव उसकी ओर से नहीं है। तथा प्र०पी०-३ मुताबिक जप्त बताये गये सामान की कोई पहचान की कार्यवाही भी आरोपीगण को उक्त अपराध में गिरफ्तार किये जाने के बाद भी नहीं कराई गई है। इसलिये अभिलेख पर इस संबंध में कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है कि घटनास्थल से जो वस्तुएँ जप्त की गई थीं, वे आरोपीगण या उनमें से किसी की थीं। ऐसे में प्र०पी०-३ को बताई गई लूट की घटना के संदर्भ में कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण साक्ष्य का लोप होने के कारण नहीं जोड़ा जा सकता है। उक्त थाना प्रभारी द्वारा मौके पर नक्शामौका प्र०पी०-२ बनाना भी कहा है। प्र०पी०-१ व २ का महाराजसिंह, विमलादेवी व धीरज ने भी समर्थन किया है जिससे केवल इस बात की ही पुष्टि होती है कि फरियादीगण के साथ लूट की घटना ग्राम रामपुरा के कच्चे रास्ते पर शीतला माता के मंदिर के पास हुई थी। लेकिन आरोपीगण द्वारा ही कारित की गई थी, ऐसा उक्त साक्ष्य से भी प्रमाणित नहीं होता है।

15. प्र०पी०-३ के संबंध में पंच साक्षी दशरथ राठौर अ०सा०-१२ मौके से जप्ती होना तो अपने अभिसाक्ष्य में बताता है किन्तु जो सामान जप्त हुआ वह आरोपीगण में से किसी का ही था, ऐसा उसका अभिसाक्ष्य नहीं है इसलिये उसके अभिसाक्ष्य को भी आरोपीगण के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। ए०एस०आई० आर०पी०सिंह अ०सा०-७ ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 21.02.11 को प्र०आर० लेखक के पद पर रहते हुए प्र०पी०-१ की देहाती नालिसी के आधार पर प्र०पी०-१४ की एफ०आई०आर० अज्ञात तीन आरोपियों के विरुद्ध लूट की घटना बाबत लेखबद्ध करना बताया है। जो कि औपचारिक स्वरूप का साक्षी है। क्योंकि देहाती नालिसी के वृत्तांत से केवल लूट की घटना ही मानी जा सकती है लेकिन उक्त लूट की घटना आरोपीगण के द्वारा ही कारित की गई, ऐसा उससे भी स्थापित नहीं हो सकता है।

16. मनीष अ०सा०-३ जो कि प्र०पी०-४ लगायत ६ की कार्यवाही का पंच साक्षी है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। प्र०पी०-४ लगायत ६ के अनुसार आरोपी फूला उर्फ फूलसिंह जिसकी उम्र प्र०पी०-४ के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक करीब ६० वर्ष आंकलित की गई है, जिसके बारे में कोई अन्यथा बिन्दु भी नहीं है। तथा उसके गिरफ्तारी पत्रक में दाहिने पैर पर पुराना फोड़ा(खता) का निशान व दाहिना पैर खराब होने का उल्लेख है। किन्तु फरियादी विमला, महाराजसिंह व धीरज के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा भी नहीं बताया गया है कि लूट करने वालों में एक व्यक्ति लंगड़ा रहा था या नहीं। इससे भी उसकी संलिप्तता संदिग्ध हो जाती है। कथानक में आरोपी फूला उर्फ फूलसिंह के धारा-२७ साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथन में इस आशय का प्रकटीकरण किया जाना बताया गया है कि सोने के कान के बाला उसके द्वारा अपने घर में बक्से में अन्दर प्लास्टिक की थैली में छुपाकर रखे गये या आरोपी की उक्त जानकारी के आधार पर प्र०पी०-६ मुताबिक बताये गये स्थान से उसके पेश करने पर उसे नापतौल कर जप्त किया गया किन्तु उपरोक्त कार्यवाही से मनीष अ०सा०-३ ने पूरी तरह से इन्कार कर

दिया है। लेकिन उसने प्र0पी0-4 लगायत 6 पर अपने हस्ताक्षर मात्र बताये हैं। आरोपी फूला उर्फ फूलसिंह को गिरफ्तार किये जाने, उसके द्वारा कोई जानकारी दिये जाने, और दी गई जानकारी के आधार पर प्र0पी0-6 मुताबिक जेवर की जप्ती होने से इन्कार करते हुए पक्ष विरोधी रहते हुए पुलिस द्वारा कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करा लिया जाना बताया है। प्र0पी0-4 लगायत 6 के दूसरे पंच साक्षी माजिदखान को परीक्षित नहीं कराया गया है।

17. प्र0पी0-4 लगायत 6 की कार्यवाही करने वाले उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा को अवश्य अ0सा0-8 के रूप में पेश किया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी फूला उर्फ फूलसिंह को दिनांक 08.12.11 को गिरफ्तार किया जाना, पूछताछ करने पर उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्र0पी0-5 का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना और उसके आधार पर उसके कब्जे से सोने का कान का बाला जिसमें एक लाल रंग का नग लगा हुआ था, उसे प्र0पी0-6 मुताबिक जप्त करना बताया है। प्र0पी0-6 की लिखापढ़ी ग्राम पिपरौली पुरा पर ही करना, सोनी से उसकी तौल कराई जाकर रसीद लेना भी कहा है किन्तु जो सोने का बाला जप्त किया गया उसकी पहचान की कोई कार्यवाही विमला देवी से कराये जाने का कोई भी तथ्य नहीं बताया गया है। न ही जप्त होने के उपरान्त उसकी शिनाख्ती की कार्यवाही कराई गई है। इसलिये वगैर पहचान कराये यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि जो बाला फूला उर्फ फूलसिंह से जप्त किया गया, वह फरियादिया विमलादेवी का ही लूटा हुआ बाला था या नहीं था। इसलिये यदि अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य से जप्ती को प्रमाणित भी मान लिया जावे तब भी वह घटना से कड़ी के रूप में नहीं जुड़ता है।

18. अजय उर्फ गुड्डू अ0सा0-9 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में पक्ष विरोधी रहते हुए आरोपी ओमकार को जानने से और उसके समक्ष पुलिस द्वारा उससे पूछताछ कर कोई कथन लिया जाना, कोई सामान की जप्ती की जाने से इन्कार करते हुए पक्ष विरोधी रहा है और प्र0पी0-10 एवं 11 की कार्यवाही का भी समर्थन नहीं किया है और प्र0पी0-10 एवं 11 पर उसने भी पुलिस द्वारा थाने पर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिया जाना बताया है। इस बात से इन्कार किया है कि मंगलसूत्र का पेण्डल और रुपये के बारे में उसके समक्ष पुलिस को आरोपी ओमकार ने कोई जानकारी दी थी। इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी ओमकार से उसके सामने पुलिस ने एक सोने का पेण्डल जप्त कर प्र0पी0-11 का जप्ती पंचनामा बनाा था। प्र0पी0-11 की कार्यवाही के संबंध में दूसरे पंच साक्षी मुन्नाखटीक अ0सा0-6 ने अवश्य अभियोजन का समर्थन किया है। प्र0पी0-10 लगायत 11 की कार्यवाही विवेचक डी0पी0गुप्ता अ0सा0-5 ने करना बताई है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 03.08.11 को वह थाना प्रभारी गोहद के पद पर था। तब उसने अप0क्र0-27/11 में आरोपी ओमकार जाट को थाने पर औपचारिक रूप से प्र0पी0-9 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ की थी। जिसमें उसने स्वेच्छया से हिस्से के रुपये खर्च करना और पेण्डल घर पर रखना बताया था जिस पर से उसने प्र0पी0-10 का मेमोरेण्डम कथन लिया था। फिर वह आरोपी ओमकार को लेकर उसके घर गया था। जहाँ से आरोपी ओमकार ने अपने घर के कमरे में रखे लोहे के बक्से में से सोने के पेण्डल जैसा मंगलसूत्र दिया था जिसे प्र0पी0-11 द्वारा जप्त किया गया था। किन्तु प्र0पी0-11 के जप्ती पत्रक की

कार्यवाही का जो समर्थन मुन्ना खटीक अ0सा0-6 के द्वारा मुख्य परीक्षण में किया गया, उसके संबंध में मुन्ना खटीक अ0सा0-6 ने पैरा-8 में यह कहा है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि लिखापढी कितने बजे हुई थी और वह ग्राम ऐंचाया गया था या नहीं गया था। उसने अन्य प्रकरण क्रमांक-56/15 में भी साक्षी होना स्वीकार करते हुए पैरा-9 में यह कहा है कि प्र0पी0-11 की कार्यवाही के समय वह ओमकार के घर के अंदर नहीं गया था। कार्यवाही किस पुलिस वाले ने की, यह भी उसे पता नहीं है। उसके द्वारा पैरा-9 एवं 10 में जिस तरह के सुझावों पर जवाब दिये हैं उससे उसकी पुलिस से हितबद्धता झलकती है। और यदि प्र0पी0-11 के जप्ती पत्रक को प्रमाणित मान भी लिया जावे तो उससे भी पहचान की कार्यवाही नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि जो पैण्डल जप्त बताया गया है वह लूट का होकर फरियादिया विमला का ही था।

19. डी0पी0 गुप्ता अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में तीसरे आरोपी पुन्ना उर्फ पूरन के संबंध में भी कार्यवाही करना बताया है कि विवेचना के दौरान दिनांक 01.09.11 को उसने आरोपी पुन्ना उर्फ पूरन से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत प्र0पी0-12 का लेखबद्ध किया था। जिसमें आरोपी पुन्ना उर्फ पूरन द्वारा पैसे खर्च कर लिये जाने का तथा बाला घर में रखना बताया था फिर उसकी सूचना पर से वह आरोपी पुन्ना उर्फ पूरन को उसके घर लेकर गया था। जहाँ उसने घर से सोने का कान का बाला प्र0पी0-13 के मुताबिक जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जिसका भी मुन्ना खटीक अ0सा0-6 ने मुख्य परीक्षण में समर्थन किया है। किन्तु मुन्ना खटीक द्वारा पैरा-3 लगायत 7 में जिस तरह की साक्ष्य दी है उससे उसकी हितबद्धता ही झलकती है। हालांकि उसने पुलिस का पॉकेट विटनेस होने से पैरा-7 में इन्कार किया है। किन्तु अन्य मामलों में भी गवाह होने की बात उसकी साक्ष्य में आई है। और उसने लिखापढी टी0आई0 के पूछने पर थानेदार द्वारा करना बताया है। जबकि टी0आई0 डी0पी0 गुप्ता अ0सा0-6 अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं करना बताता है। अ0सा0-5 के द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसके संबंध में कोई रोजनामचासान्हा पेश नहीं है। यदि अ0सा0-5 एवं 6 के अभिसाक्ष्य को स्वीकार करते हुए यह मान भी लिया जावे कि ओमकार और पुन्ना उर्फ पूरन से पैण्डल व कान का बाला जप्त हुआ था। तो केवल उसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि वह लूट का ही है। क्योंकि जेवर किसीके घर भी हो सकते हैं। और फरियादी से जप्त हुए जेवरातों के पहचान की कार्यवाही न करवाना अभियोजन के लिये अत्यंत घातक है। इससे विवेचना में लोप किया जाना परिलक्षित होता है। इसलिये प्र0पी0-10 लगायत 13 की कार्यवाही से आरोपीगण को नहीं जोड़ा जा सकता है। उनके बारे में मामला संदिग्ध ही बना रहता है। क्योंकि धीरज के मुताबिक पहचान की कार्यवाही कराई जानी चाहिए थी जो नहीं कराई गई और विमला देवी लूटे गये अपने जेवर पहचान सकती थी जिन्हें पहचानने की कार्यवाही भी नहीं कराई गई। ऐसे में अभिलेख पर इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं है कि जो लूट की घटना प्र0पी0-1 की देहाती नालिसी मुताबिक घटित हुई, वह आरोपीगण के द्वारा ही अंजाम दी गई। ऐसे में अभियोजन का संपूर्ण मामला संदिग्ध हो जाता है।

20. अतः आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे यह कतई प्रमाणित नहीं होता है कि उन्होंने दिनांक 20.02.11 को रात करीब आठ बजे ग्राम रमपुरा

के कच्चे रास्ते पर महाराजसिंह और उसकी पत्नी विमला व भांजी धीरज के साथ मोटरसाईकिल से गोहद से आगे गांव जाते समय रास्ते में रोककर विमला देवी के जेवरात व महाराजसिंह के मोबाईल व धीरज से रुपये आदि की लूट की। और लूट कारित करने में स्वेच्छया महाराजसिंह और विमलादेवी को उपहतियाँ कारित कीं। फलतः इन्हें निष्कर्ष के रूप में यह निर्धारित किया जाता है कि आरोपीगण विचाराधीन घटना में संलिप्त नहीं पाये जाते हैं इसलिये इन्हें संदेह का लाभ देते हुए धारा-397 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 1981 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा जेवर कान के बाला एवं मंगलसूत्र के पैण्डल एवं मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एम0सी0-6272 व माईकोमैक्स मोबाईल पर किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया गया है, अतः उन्हें अपील अवधि उपरान्त विधिवत राजसात कर उनसे प्राप्त धनराशि शासकीय कोषालय में जमा की जावे। व जेवरात मिन्ट भोपाल अपील अवधि उपरान्त भेजे जावें तथा जैकेट एवं जूता मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरान्त नष्ट किये जावें।

23. निर्णय की प्रतिलिपि डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 29 फरवरी-2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)